FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

...ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

• कैलाशचन्द पुत्र तेजू जाति माली निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर राज. व अन्य। —प्रार्थीगण

बनाम

• नन्दू पुत्री पूसालाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। —अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा— धारा 251(क) राज0का0अधि0 1955

दर्ज नंबर 35 / 2024
ऑनलाइन नंबर 2024 / 44

वकील अप्रार्थीगण........

वकील प्रार्थी :— योगेश शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29/5/24	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251(क), राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 15/6/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अराई	
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब सुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03/7/24 को पेश हो।	
03/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगणों को अदम तामील शुदा नोटिस अप्राप्त। वास्ते तलबी पत्रावली दिनांक 2/8/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	
02/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप./अप्रार्थी अनुप. P.O. सा. राजकार्य हेतु बाहर पधारे। पत्रावली दिनांक 30/9/2024 को पेश हो	आ.नि. रामगोपाल गवाह: [illegible] शर्मा

नंबर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.।
वादी बहस हेतु
पत्रावली दिनांक 8/8/15 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अराई

8/8/15 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.
मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।
[illegible] जांच बहस हेतु....
पत्रावली दिनांक 2/11/15 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अराई

2/11/15 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.।
वकील वादी की बहस सुनी गयी। TDR मौका
जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।
वादी के प्रार्थना पत्र पर आम 15 फुट रास्ता हेतु
स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम(अराई) अजमेर

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मु0नं0 35/2024

1 कैलाश चन्द पुत्र तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. गीता पुत्री तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. चंता पुत्री तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. धनराज पुत्र तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. शम्भू पुत्री तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई. जिला अजमेर, राजस्थान
6. साँवरा पुत्र तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. बन्ना पुत्र छीतर जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
8. सुवा पुत्र छोगा जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

—प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दू पुत्री स्व. श्री पूसालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. बालुराम पुत्र स्व. श्री पूसालाल, जाति ब्राह्मण, आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. मुकेशकुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश, जाति ब्राहाण, आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. शिवकुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश, जाति ब्राहाण, लगभग वर्ष, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर,
5. रामगोपाल पुत्र स्व. श्री गोरधन, जाति ब्राह्मण, लगभग वर्ष, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 21.11.2024

वकील अप्रार्थी योगेश शर्मा

उपस्थितः वकील प्रार्थी योगेश शर्मा एडवोकेट

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री योगेश शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खाता संख्या पुराना 170 नया 209 के खसरा संख्या 2578/165 क्षेत्रफल 1.7757 हैक्टेयर (किस्म बा.अव्वल) जो वाके ग्राम आकोडिया, पटवार क्षेत्र आकोडिया, भू.अ.नि.क्षे.आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित है। 456/504 के खसरा 1. यह कि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि के आगे उत्तर दिशा में अप्रार्थी राख्या 1 लगायत 5 की कृषि भूमि के खाता संख्या पुराना/नया संख्या 166 क्षेत्रफल 3.5434 हैक्टेयर (किस्म बारानी 1) स्थित है, जिसमें खातेदार सरजू पत्नि पूसालाल का स्वर्गवास होने से उनके विधिक वारिसान जो उक्त भूमि में पूर्व से ही खातेदार के रूप में दर्ज है। को सरजू देवी पत्नि पूसालाल के स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को संयोजित किया गया है। के बाद खसरा संख्या 159 चरागाह भूमि (गोचर भूमि) जो प्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमि पर आने जाने का एकमात्र रास्ता है।प्रार्थीगण की कृषि भूमि के कृषि के प्रयोजन एवं कृषि भूमि के विकास के लिये एवं कृषि भूमि पर जाने के लिये किसी प्रकार का कोई मार्ग / रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी भूमि मे कृषि कार्य एवं कृषि भूमि के विकास के लिये के लिये खसरा संख्या 159 किस्म चरागाह भूमि (गोचर भूमि से लगती हुई अप्रार्थीगण संख्या1 लगायत 5 की कृषि भूमि के खसरा संख्या 166 की भूमि से लगती हुई सीव/मेड सेभूमि का आने जाने हेतु उपयोग करते है। प्रार्थीगण कृषि भूमि के जोत सिंचाई के प्रयोजन के लिये सबसे करीब रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5

wl

की कृषि भूमि खसरा संख्या 166 की भूमि से होकर जाता है प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि से होकर नया मार्ग 15 फिट का बनाना चाहते हैं, जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है।

अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 29.5.2024 को विधिवत नोटिस तामिल हुवे। दिनांक 24.11.2025 को तहसीलदार अराई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम आकोडिया तहसील अराई स्थित खसरा न0 2578/165 में आवागमन हेतु खसरा नं0 166 के अतिरिक्त अन्य निकटतम एवं वैकल्पिक मार्ग नही है । हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 15 चोडे रास्ते हेतु स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें है:–

–: आदेश :–

प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम आकोडिया तहसील अराई स्थित खसरा न0 2578/165 में आवागमन हेतु प्रार्थी ने ख0नं0 166 में चाहा गया रास्ता निकटतम होना अंकित किया है । तहसीलदार अराई कीजांच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2025/6799 दिनांक 24.11.2025 के अनुसार भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि खसरा नं0 166 रकबा 0.0549 हैक्टैयर हेतु 15 फीट चोडे रास्ते हेतु प्रचलित वर्तमान डी.एल. सी. दर 917000/– अनुसार मूल्य 50344/– रूपये बनती है जिसकी दुगुना राशि 100689/– अक्षरे एक लाख छह सो नवासी रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अराई को आदेश दिये जातें है कि वाद अधीन भूमि खसरा नं0 166 रकबा 0.0549 हैक्टैयर 15 फुट चोडे रास्ते हेतु प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 917000/– अनुसार मूल्य 50344/– रूपये बनती है जिसकी दुगुना राशि 100689/– अक्षरे एक लाख छह सो नवासी रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)